राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी प्रकाश चन्द्र रेगर, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 07/2025 अपील

सीताराम पिता नानुराम खटीक नि. शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा बनाम 1. आयुक्त, नगर परिषद शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी –रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 ले.रे.एक्ट

उपस्थित –

1. श्री अनिल शर्मा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री दुर्गालाल राजोरा अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.01.2026

निगराकार द्वारा जरिये अधिवक्ता यह निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा मे भूप्रबन्ध से पूर्व की आराजी संख्या 226 मी. नम्बर में से 05 बीघा भूमि सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई थी। लेकिन राजस्व अधिकारियों ने अपीलान्ट के नाम के साथ पिता का नाम सहवन से खुमा खटीक दर्ज कर दिया था जव कि वास्तव मे उक्त आंवटन अपीलान्ट के नाम किया गया था तथा भौतिक रूप से कब्जा भी अपीलान्ट को सिपुर्द किया गया था तब से अपीलान्ट उक्त आंवटन शुदा भूमि पर बहैसियत स्वामी के काबिज होकर अपीलान्ट के पक्ष मे आवंटन होने के पश्चात सहवन से राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलान्ट के पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया जिस पर नाम शुद्धि हेतु एक प्रार्थना पत्र माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय शाहपुरा के समक्ष अभियान के दौरान, प्रस्तुत किया जिस पर माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय शाहपुरा द्वारा दिनांक 24.8.1986 को आंवटन आदेश मे आवंटी सीताराम पिता नानुराम का नाम सीताराम पिता खुमाराम खटीक की जगह दर्ज करने का आदेश तहसीलदार साहव शाहपुरा को प्रेपित किया गया था। लेकिन उक्त शुद्धि पत्र पर कोई कार्यवाही सम्पादित नही की गई। अपीलान्ट के नाम भू प्रबंध से पूर्व की आराजी संख्या 226 मी. मे 5 बीघा कृषि भूमि आंवटित की गई तथा भू प्रवन्ध के पश्चात निम्न नंबर दर्ज किये गये आ० सं० 593 रकबा 0.54 है० आ० सं० 604 रकवा 0.08 है० एंव आ० सं० 606 रकबा 0.66 है० दर्ज किये गये। लेकिन भू प्रवन्ध के पश्चात आवंटित भूमि 5 बीघा के स्थान पर आ० सं० 593 रकबा 0.54 है0 का नामान्तरण ही खुला और शेप 0.71 है० भूमि को बिलानाम दर्ज कर दिया गया। भू प्रबन्ध के

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

पश्चात आ० सं० 593 रकबा 0.54 है० जो सीताराम पिता खुमा खटीक के उत्तराधिकारियों के नाम सीताराम दर्ज कर दी जिसको अपीलान्ट ने अपने नाम खातेदारी दर्ज करने हेतु एक वाद पत्र बाबत घोषित किये जाने एंव स्थाई निषेधाज्ञा अनवान सीताराम बनाम शान्ती आदि वाद संख्या 105 सन 2013 रा. वाद प्रस्तुत किया जिसको माननीय उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा दिनांक 29.2.2024 को वाद पत्र डिक्री करते हुये अपीलान्ट को आ. सं. 593 रकवा 0.54 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया। आदेश की प्रति सलग्न है। वर्णित हाल आराजी संख्या 604 रकबा 0.08 है० एवं आराजी संख्या 606 रकवा 0.66 है० जो आंवटी सीताराम पुत्र नानुराम को जो भू प्रबन्ध से पूर्व के नंबर 226 मी. रकवा 5 वीघा आंवटित हुई थी उक्त भू प्रवन्ध के वाद बने नंबरों को राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिलानाम दर्ज कर दिया जव कि उक्त आराजी संख्या 604 एवं 606 पर विगत आंवटन के समय से ही अपीलान्ट काविज होकर काश्त कर रहा है। राजस्व ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा मे हाल आराजी संख्या 606 रकवा 0.66 है० एंव आराजी संख्या 604 रकबा 0.08 है० जो बिलानाम दर्ज कर दी गई है। उनको अपीलान्ट अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाये जानें का विधिक अधिकारी है। अपीलान्ट द्वारा कई मर्तबा उक्त बिलानाम कृषि भूमि को आवंटन के आधार पर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने हेतु अपीलान्ट द्वारा राजस्व अधिकारियों के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही सम्पादित नही की गई। वर्तमान मे उक्त बिलानाम कृषि भूमि पैराफेरी क्षेत्र मे होने से नगरपालिका शाहपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील इस आशय से प्रस्तुत किया जा रही है कि आवंटन के आधार पर ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा मे स्थित हाल कृषि आराजी संख्या 604 रकबा 0.08 है० तथा आराजी संख्या 606 रकबा 0.66 है० में से 0.71 है0 भूमि का नामान्तरण नगरपालिका शाहपुरा (बिलानाम कृषि भूमि – शिवपुरा) से शुद्धी करते हुये अपीलान्ट के पक्ष मे नामान्तरण दर्ज किये जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाते हुये ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा मे स्थित हाल कृषि आराजी संख्या 604 रकवा 0.08 है० तथा आराजी संख्या 606 रकबा 0.66 है0 में से अपीलान्ट को आंवटित 0.71 है० भूमि का नामान्तरण नगरपालिका शाहपुरा के स्थान पर अपीलान्ट के पक्ष मे करने का आदेश प्रदान करावें। आदेश की पालना तहसीलदार से कराई जावें।

वाद जांच प्रकरण दिनांक 07.03.2024 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्सगण को नोटिस सम्मन मय नकल अपील प्रार्थना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गालाल राजोरा द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 27.01.2024 को रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी नकल अपीलान्ट अधिवक्ता दिलवाई जाकर जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 द्वारा अपने जवाब में अंकन किया गया कि विवादित भूमि 0. 71 है. बिलानाम कृषि भूमि होकर ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा की सरहद में स्थित है। ग्राम शिवपुरा नगर पालिका शाहपुरा हाल नगर परिषद् शाहपुरा के पैराफेरी सीमा में आने से उक्त वर्णित बिलानाम भूमि राजस्थान सरकार से नगर पालिका शाहपुरा के नाम नामान्तकरण सं. 846 दिनांक 30.12.2021 को हस्तांतरित की गई। तभी से भूमि नगर

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा

पालिका/परिषद शाहपुरा के कब्जे व आधिपत्य में चली आ रही है। तथाकथित वाद सं. 105/2013 माननीय उपखण्ड न्यायालय, शाहपुरा द्वारा निर्णय दिनांक 29.02.2024 के निर्णय में आराजी सं. 593 रकबा 0.54 है. का खातेदार अपीलान्ट को घोषित किये जाने की जानकारी जवाबदार को नहीं होने से अस्वीकार है। प्रश्नगत भूमि सन् 2021 से ही जवाबदार के नाम दर्ज होकर आधिपत्य में चली आ रही है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त वाद पत्र में नगर पालिका शाहपुरा को पक्षकार नहीं बनाया गया था जबकि आवश्यक पक्षकार थी। आराजी सं. 604 व 606 नगर पालिका को हस्तान्तरित होने से पूर्व बिलानाम होकर सरकारी भूमि थी, जिसे सरकार ने नगर पालिका पैराफेरी क्षेत्र में आने से नगर पालिका को आवंटित की गई। तभी नगर पालिका के कब्जे व आधिपत्य में चली आ रही है। जिसका निर्धारण नियमित वाद की सुनवाई में जवाबदाता दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर न्यायहित में आवश्यक है। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में जवाबदाता के नाम दर्ज होकर भौतिक आधिपत्य में होने से एवं प्रकरण सं. 105/2013 में नगर पालिका शाहपुरा पक्षकार नहीं होने से यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील को सव्यय निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट का जवाब प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। दिनांक 13.01.2025 को अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा हिदायत पैरवी नही होने का अंकन किया गया। परन्तु इस बाबत् अपीलार्थी को अधिवक्ता की ओर से पैरवी नही करने बाबत नोटिस भेजने एवं प्रति नोटिस बाद तामील अपीलार्थी बाबत सूचना न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट है कि अधिवक्ता बहस नही करना चाहते है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने बहस हेतु निवेदन किया गया। रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता द्वारा पुर्व में प्रस्तुत लिखित बहस को अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो में सक्षम धारा, अधिनियम इत्यादि का उल्लेख नही है जो आवश्यक है। अपील मीमो के पैरा सं 1 में खसरा नं. का अंकन नही तथा वाईटनर का प्रयोग कर रखा है तथ्यो की कोई स्पष्टता नही है। अनुतोष में अपीलार्थी ने खसरा नं. 606, 604 अपने नाम नामान्तरण हेतु अंकन का निवेदन किया। जो कि रेकार्ड में नगर पालिका के नाम दर्ज है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा मे दर्ज वाद मे भी अपीलार्थी ने नगर पालिका को पक्षकार के रूप में संयोजित नही करवाया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा ने अपीलान्ट (वादी) के वाद को आंशिक ही स्वीाकर कर डिक्री किया है यदि अपीलार्थी माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश से अंसतुष्ट था तो सक्षम न्यायालय मे चाराजोही कर सकता था परन्तु न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार नही होने पर भी अपील प्रस्तुत की जो कि पोषणीय नही है। अतः अपील अस्वीकार कर खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अध्ययन से जाहिर आया कि अपीलार्थी को आंशिक अनुतोष धारा 88, 188 आर टी. ए. अथवा 136 एल. आर. एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय से प्राप्त हुआ

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा

जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में की जानी थी लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त संवध में अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नही की जाकर न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की। जो कि न्यायालय हाजा में श्रवणनीय नही है।

उक्त विवेचना अनुसार प्रस्तुत अपीलार्थी की अपील अस्वीकार योग्य हैं।

आदेश

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 20.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

20/1/26

(प्रकाश चन्द्र रेगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहपुरा

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा